न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 09 / 15 दायरा दिनांक 03.11.2015

पीठासीन अधिकारी :— श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

घासीलाल पुत्र अमरलाल जाति धाकड़ निवासी नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां

— प्रार्थी

बनाम

1. छोटूलाल पुत्र कालूराम जाति धाकड़ निवासी गीगचा तहसील किशनगंज जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां **— अप्रार्थीगण**

उपस्थित

1. **श्री रामकिशन नागर, अभिभाषक प्रार्थी।**
2. **एक्स पार्टी — अप्रार्थी।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970

निर्णय दिनांक 29.03.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू.— राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

वांके ग्राम गीगचा में खसरा नम्बर 223 / 1 की 3 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है, जिसको प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 27.06.1977 को अप्रार्थी क्रम 1 को अवैधानिक तरीके से किया गया है अप्रार्थी क्रम 1 को किया गया आवंटन नियमों की अवेहलना करके किये जाने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी क्रम 1 ग्राम गीगचा का मूल निवासी कभी नहीं रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 ग्राम गीगचा में अपने सगे सम्बन्धियों के यहां आया हुआ था इसी का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी ने कपटपूर्वक अपने आपको ग्राम गीगचा का निवासी बताकर आवंटन करवाया है इस प्रकार अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा दिनांक 27.06.1977 को ख.नं. 223 की 3 बीघा 4 बिस्वा का आवंटन निरस्त किये जाने काबिल है। न तो आवंटन के पूर्व और न ही आवंटन के बाद अप्रार्थी क्रम 1 का विवादित भूमि पर कभी कब्जा रहा है और न ही वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 1 का विवादित भूमि पर कब्जा है क्योंकि विवादित भूमि पर अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटन से पूर्व प्रार्थी के पिता अमरलाल काबिज थे तथा उसके उपरान्त प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज है। आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:57 IST
Reason: SelfAttested

शर्तो के अनुसार किसी भी आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि तथा आवंटन के बाद दूसरे वर्ष में शेष सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करना अनिवार्य है लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 ने इन आवंटन शर्तो का पालन नहीं किया गया है तो आवंटी का आवंटन निरस्त किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में भी आवंटी अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त शर्तो का उल्लघंन किया गया है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 का आवंटन निरस्त किया जाना अनिवार्य है। प्रार्थी ने एवं उसके पिता ने उक्त विवादित भूमि को कृषि योग्य बनाने में काफी रूपया पैसा खर्च किया है और कढ़ी मेहनत करके उसको उपजाऊ बनाया है और उस पर विकास कार्य करवाये है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी क्रम 1 को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 1 उक्त आराजी का खातेदार है और एक आवंटी का आवंटन खातेदारी मिलने के बाद भी निरस्त किया जा सकता है जैसा कि आर.टी.एक्ट. की धारा 63 (9) में इस बाबत् उल्लेख किया गया है। प्रार्थना पत्र पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये बाद तामील सम्मन प्राप्त है अप्रार्थी बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहें हैं इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 को विवादित का आवंटन दिनांक 27.06.1977 को अवैधानिक तरीके से किया गया है। क्योंकि उक्त आराजी आवंटन के लिए इस दिनांक को उपलब्ध नहीं थी और दिनांक 20.06.1966 को प्रार्थी के पिता अमरलाल को आवंटन की जा चुकी थी और उस पर प्रार्थी के पिता को दखल दे दिया गया था तक से जब तक प्रार्थी के पिता जीवित रहे उक्त आराजी को काश्त किया तथा उनके मरणोपरान्त प्रार्थी ही आज दिन तक उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 ग्राम गीगचा का निवासी नहीं है अप्रार्थी आवंटन के समय अपने सगे सम्बन्धियों से मिलने–जूलने ग्राम गीगचा आया हुआ था जिसने अपने आपको कपटपूर्वक एवं तथ्य छिपाकर ग्राम गीगचा का निवासी बताकर उक्त आवंटन करवा लिया है जो कि मिसरिप्रजेन्टेशन की श्रेणी में आता है और खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी क्रम 1 उक्त आराजी का आवंटन कराने के बाद वापस उसके गांव चला गया जिसने आज दिन तक उक्त आराजी को काश्त नहीं किया है। जबकि 1970 के आवंटन नियमों को नियम 14(3) में शर्त दी हुई है कि आवंटी को कम से कम 50 प्रतिशत भूमि प्रथम वर्ष में तथा शेष भूमि द्वितीय वर्ष में काश्त करनी होगी यदि इस शर्त का आवंटी द्वारा उल्लघंन किया जाता है तो नियम 14(4) के तहत आवंटी का आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा नियम 14(8) (ए) में यह भी प्रावधान किया गया है कि आवंटी ने शर्तो के अनुसार काश्त नहीं की है तो अप्रार्थी क्रम 2 राज्य सरकार द्वारा उक्त आराजी को अपने कब्जे में लिया जा सकता है। माननीय राजस्व बोर्ड अजमेर केम्प जयपुर आर.आर.डी. 2001 पेज 465 राजू बनाम आम जनता एवं अन्य की नजीर में यह अभिनिर्धारित कि[illegible]लाल को दरअसल दिनांक 20.06.1966 को खसरा नम्बर 223 की 5.00 बीघा एवं [illegible] बीघा का आवंटन किया था लेकिन आवंटन के आवेदन प्रपत्र में गलती से खसरा न[illegible] के बजाय [illegible] नम्बर 210 का अंकन कर दिया जबकि प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:57 IST
Reason: SelfAttested

के पिता को खसरा नम्बर 223 पर दखल दिया गया था लेकिन राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं किए जाने के कारण प्रार्थी ने जर्ये अपने पुत्र मदनमोहन दिनांक 23.07.2007 को उप जिला कलक्टर किशनगंज के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर श्रीमान उप जिला कलक्टर महोदय, तत्कालीन हल्का पटवारी से जांच करवाकर मौका रिपोर्ट तलब की थी जिसमें हल्का पटवारी ने प्रार्थी को खसरा नम्बर 212 एवं खसरा नम्बर 223/1 पर काबिज काश्त होने का उल्लेख किया था और प्रार्थी के खसरा नम्बर 210 के बजाय 223/1 सही दर्ज करने के बाबत् अभिशंषा की थी लेकिन खसरा नम्बर 223/1 अप्रार्थी क्रम 1 को अवैधानिक तरीके से आवंटन कर दिये जाने के कारण अमल नहीं किय गया। अप्रार्थी क्रम 1 को माननीय न्यायालय में तलब करने एवं उपस्थित होने हेतु प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.02.2019 को स्थानीय समाचार दैनिक दिशाध्वज बारां के जर्ये भी समाचार/नोटिस प्रकाशित करवाया है। लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 आज दिन तक माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया है। ऐसी सूरज में अप्रार्थी क्रम 1 को किया गया उक्त आराजी का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। भू आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना नही की है, अप्रार्थी (आवंटी) का कब्जा नहीं है तथा आवंटी स्थायी निवासी नहीं है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधि विरूद्ध साबित होता हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27.06.1977 को अप्रार्थी छोटूलाल पुत्र कालूराम जाति धाकड निवासी गीगचा किशनगंज को ग्राम गीगचा की आराजी खसरा नं. 223/1 रकबा 3.04 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:57 IST
Reason: SelfAttested